न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 768/2019–20

आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
14.8.2020	आवेदक प्रकाश बरला पिता स्व0 गिरी बरला, जाति मुण्ड, ग्राम+पो0– कुम्हारी थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।	

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	भूमि किस्म
कुम्हारी	117	60	250	1.83 एकड़ में से 0.03 एकड	टांड़ II

चौहदी :– उत्तर – कृष्णा साहु । दक्षिण – मंगदानी भेंगरा।
पूरब – दानियल भेंगरा।
पश्चिम – पक्की सड़क।

जमीन विकता का विवरणी

प्रकाश बरला पिता स्व0 गिरी बरला, जाति मुण्डा, ग्राम+पो0– कुम्हारी, थाना – बसिया (गुमला)

जमीन केता का विवरणी

बिर्जिनिया टोप्पो, ~~पिता~~ पति स्वर्गीय फांसिस जेवियर टोप्पो ग्राम+पो0– कुम्हारी, थाना –बसिया हर आम वो खास।

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित **केता बिर्जिनिया टोप्पो, ~~पिता~~** पति स्वर्गीय **फांसिस जेवियर टोप्पो ग्राम+पो0– कुम्हारी, थाना –बसिया, जिला– गुमला** आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हर बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है, रूपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदक भूमि की बिकी

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

	कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांकः– 19(ii) दिनांकः– 15/07/2020 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है। अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक **प्रकाश बरला पिता स्व0 गिरी बरला, जाति मुण्ड, ग्राम+पो0– कुम्हारी थाना – बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड)** को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। [Stamp: भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बसिया, (गुमला)] लेखापित एवं संशोधित 14/8/2020 (signature) भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता बसिया (गुमला) [Stamp: अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)] 14/8/2020 (signature) भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता बसिया (गुमला) [Stamp: अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)]	

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.08.13 13:57:33 +05:30
Location: 192.168.1.6